

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद

पत्रांक:—निधि-1 / 102079 /

दिनांक 12.01.2018

उ0प्र0 के सा0भ0नि0 अभिदाताओं के लिए विशेष सूचना

1—उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को सूचित किया जाता है कि, उनके सा0भ0नि0 खातों में अन्तिम भुगतान, लेखा मिलान, अवशिष्ट भुगतान एवं लेखा विसंगतियों से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रगति की सूचना इस कार्यालय के वेबसाइट www.agup.nic.in पर होस्ट कर दी गयी है जिसे इन्टरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है। साथ ही **Current Status of Subscriber** में यह विकल्प है कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह का जमा एवं आहरण का विवरण वेबसाइट पर **AGUP (A&E) > GPF > GPF Information > ledger card** देख सकते हैं।

2—सा0भ0नि0 अभिदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि 90 दिनों तक उनके प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पाता है तो प्रकरण से सम्बन्धित शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उप महालेखाकार (निधि) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को सीधे पत्र प्रेषित करें अथवा agaeuttarpradesh1@cag.gov.in पर ई-मेल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिससे कि प्रकरणों का त्वरित एवं समुचित निस्तारण किया जा सके।

भवदीय

21जे

उप महालेखाकार/निधि 11.1.18